अष्टादश बिहार विधान सभा

द्वितीय सत्र

दैनिक विवरणिका

संख्या–07 बुधवार, दिनांक–11 फरवरी, 2026 ई०।

माननीय अध्यक्ष डॉ० प्रेम कुमार की अध्यक्षता में सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई।

समय : 11:00 बजे पूर्वाह्न से 01:03 बजे अपराह्न तक।

[1] प्रश्नकाल :–

i. 06 अल्पसूचित प्रश्न उत्तरित।
ii. 01 अल्पसूचित प्रश्न संख्या–16, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में स्थानांतरित।
iii. 23 तारांकित प्रश्न उत्तरित।
iv. 01 तारांकित प्रश्न संख्या–604, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में स्थानांतरित।
v. 01 तारांकित प्रश्न संख्या–614 स्थगित।
vi. 196 तारांकित प्रश्न अनागत।

[2] कार्यस्थगन प्रस्ताव :–

माननीय सदस्य, श्री रणविजय साहू, श्री अजय कुमार, श्री नरेन्द्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह, श्री अमरेन्द्र कुमार, श्री अजय कुमार, श्री राहुल कुमार, श्री सुरेन्द्र राम, श्री अभिषेक रंजन, श्रीमती करिश्मा, श्रीमती सावित्री देवी, श्री सुबेदार दास एवं श्री अरूण सिंह द्वारा दिया गया कार्य स्थगन प्रस्ताव नियमानुकूल नहीं रहने के कारण आसन द्वारा इसे अमान्य किये जाने की घोषणा की गयी।

परन्तु आसन की अनुमति प्राप्त कर माननीय सदस्य, श्री रणविजय साहू द्वारा कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना को पढ़ा गया।

[3] सभा मेज पर कागजात का रखा जाना :–

माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग, डॉ० दिलीप कुमार जायसवाल द्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा–395 के तहत बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2021–22 के वार्षिक लेखा प्रतिवेदन की प्रति को सभा मेज पर रखा गया।

[4] शून्यकाल :–

शून्यकाल की सूचना के अंतर्गत निम्नांकित माननीय सदस्यों द्वारा राज्य की विभिन्न समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया:–

(i) श्रीमती बिनीता मेहता
(ii) श्री उदय कुमार सिंह
(iii) श्री गौतम कृष्ण
(iv) श्री अभिषेक रंजन
(v) श्री कुमार शैलेन्द्र
(vi) श्री सतीश कुमार सिंह यादव
(vii) श्री सियाराम सिंह
(viii) श्री बबलू कुमार
(ix) श्री शुभानंद मुकेश
(x) श्री त्रिविक्रम नारायण सिंह
(xi) श्री रोमित कुमार
(xii) श्री मुरारी पासवान
(xiii) श्री संदीप सौरभ
(xiv) श्री पप्पु कुमार वर्मा
(xv) श्री अमरेन्द्र कुमार
(xvi) श्री सुरेन्द्र प्रसाद
(xvii) श्री अजय कुमार
(xviii) श्री सुजीत कुमार

(xix) श्री भरत बिन्द
(xx) श्री राम चन्द्र सदा
(xxi) श्री बीरेन्द्र कुमार
(xxii) श्री नागेन्द्र चंद्रवंशी
(xxiii) श्रीमती देवंती यादव
(xxiv) श्री ललित नारायण मंडल
(xxv) श्रीमती गायत्री देवी
(xxvi) श्री मोहम्मद मुर्शिद आलम
(xxvii) श्रीमती निशा सिंह
(xxviii) श्रीमती कविता देवी
(xxix) श्रीमती छोटी कुमारी
(xxx) श्री शंकर प्रसाद
(xxxi) श्रीमती सावित्री देवी
(xxxii) श्री रोहित पाण्डेय
(xxxiii) श्री मुरारी मोहन झा
(xxxiv) श्री रणविजय साहू
(xxxv) श्रीमती ज्योति देवी
(xxxvi) श्री अखतरूल ईमान
(xxxvii) श्री अरूण सिंह
(xxxviii) श्री बैद्यनाथ प्रसाद
(xxxix) श्री गुलाम सरवर
(xl) श्री नन्द किशोर राम
(xli) श्री जनक सिंह

आसन द्वारा घोषणा की गई कि आज के लिए स्वीकृत शेष शून्यकाल की सूचनाओं के लिखित उत्तर के लिए इसे संबंधित विभाग को भेज दिया जाय।

[5] ध्यानाकर्षण सूचनाएँ :–

(i) माननीय सदस्य, श्री सुभाष सिंह का खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित तथा दिनांक 10.02.2026 से स्थगित ध्यानाकर्षण सूचना को माननीय सदस्य द्वारा पढ़ा गया तथा इसका उत्तर माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, श्रीमती लेशी सिंह द्वारा दिया गया।

(ii) माननीय सदस्य, श्रीमती शालिनी मिश्रा, श्री मंजीत कुमार सिंह एवं अन्य दो सभासदों का जल संसाधन विभाग से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना को माननीय सदस्य, श्रीमती शालिनी मिश्रा द्वारा पढ़ा गया तथा इसके उत्तर के लिए माननीय प्रभारी मंत्री, जल संसाधन विभाग, श्री श्रवण कुमार द्वारा समय की मांग की गयी।

(iii) माननीय सदस्य, श्री मिथिलेश तिवारी, श्री विनय कुमार चौधरी एवं अन्य पाँच सभासदों का लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना को माननीय सदस्य, श्री मिथिलेश तिवारी द्वारा पढ़ा गया तथा माननीय मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, श्री संजय कुमार सिंह द्वारा इसका उत्तर दिया गया।

आसन द्वारा इस संदर्भ में संबंधित विभागों यथा पंचायती राज विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, वित्त विभाग तथा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के साथ अपने स्तर से बैठक कर समीक्षा करने की बात कही गयी।

तत्पश्चात् सभा की बैठक भोजनावकाश तक के लिए स्थगित हुई।

भोजनावकाश के बाद

(02:00 बजे अपराह्न से 04:55 बजे अपराह्न तक)

[इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया]

[6] वित्तीय कार्य :–

वित्तीय वर्ष 2025–26 की तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी में सम्मिलित अनुदानों की मांग [समाज कल्याण विभाग] पर वाद–विवाद एवं मतदान।

माननीय मंत्री, समाज कल्याण विभाग, श्री मदन सहनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 के तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी में सम्मिलित अनुदानों की मांगों में से समाज कल्याण विभाग से संबंधित अनुदान की मांग को प्रस्तुत किया गया।

माननीय सदस्य, श्री राहुल कुमार का नाम कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु पुकारा गया, किन्तु उनके अनुपस्थिति के कारण माननीय सदस्य, श्री रणविजय साहू द्वारा अनुदान की मांग में कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

तत्पश्चात् वित्तीय वर्ष 2025–26 के तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी में सम्मिलित अनुदानों की मांग (समाज कल्याण विभाग) एवं कटौती प्रस्ताव पर वाद–विवाद में निम्नांकित माननीय सदस्यों ने भाग लियाः–

i. श्री कुमार सर्वजीत

[इस अवसर पर माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया]

ii. श्री मिथिलेश तिवारी
iii. श्रीमती शालिनी मिश्रा
iv. श्री मनोज विश्वास
v. श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ सोनू सिंह

vi. श्री अखतरूल ईमान
vii. श्री रत्नेश कुमार
viii. श्री संदीप सौरभ
ix. श्री सतीश कुमार सिंह यादव
x. श्री अजय कुमार
xi. श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता
xii. श्री राहुल कुमार सिंह
xiii. श्री ललन राम
xiv. श्री अरूण कुमार
xv. श्री मुरारी पासवान
xvi. श्री रामेश्वर कुमार महतो

[इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया]

तदुपरांत सरकार की ओर से माननीय मंत्री, समाज कल्याण विभाग, श्री मदन सहनी द्वारा विस्तारपूर्वक उत्तर दिया गया।

इस दौरान विपक्ष के माननीय सदस्यगण सरकार के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बर्हिगमन कर गये।

तत्पश्चात माननीय सदस्य, श्री रणविजय साहू का कटौती प्रस्ताव सदन से अस्वीकृत हुआ तथा वित्तीय वर्ष 2025–26 के तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी में सम्मिलित समाज कल्याण विभाग के अनुदान की मांग का मूल प्रस्ताव सदन से स्वीकृत हुआ।

इसके उपरांत वित्तीय वर्ष 2025–26 के तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी में सम्मिलित शेष अनुदान की मांग बारी–बारी से मुखबंध (गिलोटीन) द्वारा स्वीकृत हुई।

[7] **विधायी कार्य :–**

(i) **राजकीय (वित्तीय) विधेयक – "बिहार विनियोग विधेयक, 2026"**

माननीय मंत्री, वित्त विभाग, श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा "बिहार विनियोग विधेयक, 2026" को सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया गया तथा विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

विचार के प्रस्ताव पर स्वीकृति के उपरांत खंडशः विचार के क्रम में विधेयक के सभी खंड बारी–बारी से विधेयक के अंग बने।

तदुपरांत माननीय मंत्री द्वारा विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया।

तत्पश्चात राजकीय (वित्तीय) विधेयक – "बिहार विनियोग विधेयक, 2026" सदन द्वारा स्वीकृत हुआ।

(ii) **प्रस्ताव**

माननीय प्रभारी मंत्री, विधि विभाग, श्री सम्राट चौधरी ने प्रस्ताव किया कि "यह सभा बिहार विधान सभा में उद्भूत और बिहार विधान सभा एवं परिषद् द्वारा यथापारित 'बिहार सिविल न्यायालय विधेयक, 2021' जो संविधान के अनुच्छेद–200 के अधीन विचारार्थ रक्षित है, को वापस ले। साथ ही यह सभा विधान परिषद् से अनुरोध करती है कि वह इस प्रस्ताव पर सहमति प्रदान करे।"

प्रस्ताव सदन से स्वीकृत हुआ।

[8] **निवेदन :–**

आसन से घोषणा की गयी कि आज के लिए स्वीकृत कुल 40 निवेदनों को सदन की सहमति से संबंधित विभागों को भेज दिए जायेंगे।

तत्पश्चात सभा की बैठक वृहस्पतिवार, दिनांक–12 फरवरी, 2026 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित हुई।

पटना
दिनांक–11.02.2026

ख्याति सिंह
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना।